

**कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**  
पत्रांक—2022/FP/UK/ROAD/9904/2015 :देहरादून:दिनांक: 24 जनवरी, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।

**विषयः—जनपद चमोली के अन्तर्गत मैहलचौरी बैण्ड से सिलंगना-घनियाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.451 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

(ऑनलाईन फाईल संख्या— FP/UK/ROAD/9904/2015)

**संदर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—  
8बी/यूसीपी/06/276/2015/एफसी/1815 दिनांक 06-02-2018**


महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

- शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 451 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रु0 4,51,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
- शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु0 3,81,095.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
- शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
- शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रु0 8,32,095.00 के चालान के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)
- शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Strip Plantation किये जाने के प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।  
संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,


  
(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2022 / FP/UK/ROAD/9904/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैन।

  
(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

